कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।

संख्याः– 2172/क0वि0/न0नि0म0वृ0,मथुरा/2025–26 दिनांक :– 27/10/25

सार्वजनिक सूचना

1959 (अधिनियम सं0 2 सन् 1959) की धारा–213 और धारा–541 के खण्ड (42) एवं (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा द्वारा नामान्तरण उपविधि बनायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह प्रकाशित सूचना की तिथि से 30 दिन की अवधि में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की वेबसाईट **nnmvonline.in** , नगर निगम के चारों जोन कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कर विभाग कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के भूतेश्वर जोन स्थित कर विभाग कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एंव सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होगें।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. यूनीकॉम एड0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. चारों जोन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर नगर आयुक्त 27/10
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025 का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं0 2 सन् 1959) की धारा–213 और धारा–541 के खण्ड (42) एवं (44) की अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा यह उपविधि प्रस्तावित करता है:–

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2024 कही जायेगी। (2) यह नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2	(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में– (क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है। (ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। (ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा– 207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है। (घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा–213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है। (ङ) सम्पत्ति का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है। (च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।
निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण	3	(1) अधिनियम, 1959 की धारा–210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा–213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रादभूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा। (2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा। (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा– (एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा, (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा, (तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा, (चार) पंजीकृत दान–पत्र द्वारा, (पांच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा। (ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी– (एक) नगर निगम सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति, (दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति, (तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो। (चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी। (4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूत के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी। (5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर-निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया	4	(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी। (ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र–1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा। (2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सम्पत्ति कर की वेब साइट mathura.upptax.org.in पर आनलाइन अथवा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के कर विभाग में आवेदन करेगा। (ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा–

क्र0 स0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दानपत्र व अन्य के आधार	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ–पत्र (पी0डी0एफ0 में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय– विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 में)		✓	
5	उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓		
6	मृत्यु प्रमाण–पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓		✓

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर-निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)			✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	
9	पूर्व में जारी नामान्तरण–पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात नगर निगम द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क रू0 10/– प्रतिमाह के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप–3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ड.) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली होने अथवा न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालक वाले एक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय/रू0 1,000/– के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ड.) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ड.) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितवद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण–दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्यदिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी प्रकरणों का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा–2 के खण्ड (47) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर-निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।
(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय के वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।
(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।</td></tr>
<tr><td>हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता</td><td>5</td><td>(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी को देंगे। तीन माह के पश्चात सूचना देने पर रू0 10/– का विलंब शुल्क प्रभावी होगा।
(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा। छः माह के पश्चात सूचना देने पर रू0 10/– का विलंब शुल्क प्रभावी होगा।
(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते ही, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।
(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।
(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नही किया गया हों तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क रू0 10/– प्रतिमाह के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।
(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।</td></tr>
<tr><td>निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना</td><td>6</td><td>(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभार की दरें निम्नवत होंगी–
(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में
प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)</th><th>प्रभार की धनराशि (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1000 तक</td><td>1000/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1001–2000 तक</td><td>2000/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2001–3000 तक</td><td>3000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3000 से अधिक</td><td>5000/–</td></tr>
</table>
(ख) नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो के आधार पर निम्नवत होगी.
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>सम्पत्ति का मूल्य</th><th>प्रभार की धनराशि (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>रू0 5 लाख तक</td><td>1000/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक</td><td>2000/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>रू0 10 लाख से रू0 15 लाख तक</td><td>3000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रू015 लाख से रू0 50 लाख तक</td><td>5000/–</td></tr>
<tr><td>5</td><td>रू0 50 लाख से ऊपर</td><td>10000/–</td></tr>
</table>
(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम 1959 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगम बोर्ड की स्वीकृति/अनुमोदन से किया जा सकेगा।
(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।
(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती केताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम–(1)</td></tr>
</table>

मुख्य कर अधिरोपण अधिकारी
नगर-निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

		के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 26 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभारी उद्ग्रहीत किया जायेगा। (6) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।
आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण	7	जहां नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जांच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, शरतान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।
अपील	8	नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 472 के अधीन अपील कर सकता है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर-निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner